

मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 2-87/2015/1/55

भोपाल, दिनांक 4/10/2018

प्रति

आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा
भोपाल म.प्र.।

विषय :- शासकीय मेडिकल कालेज में डाक्टरों के मासिक स्टापण्ड में वृद्धि।

संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 28/31.12.2015.

-0-

राज्य शासन उक्त द्वारा दिनांक 1/8/2018 से प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में डॉक्टरों के मासिक स्टापण्ड में निम्नानुसार वृद्धि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

क्रमिक	वर्दानाम	वर्तमान	स्वीकृत
1	इन्टरन	8,000	10,000
2	डिप्लोमा/पीजी प्रथम वर्ष	45,000	55,000
3	डिप्लोमा/पीजी द्वितीय वर्ष	47,000	57,000
4	पीजी तृतीय वर्ष	49,000	59,000
5	सीनियर रेजीडेंट	48,000	65,000
6	जूनियर रेजीडेंट	38,000	45,000
7	एमबीबीएस ग्रामीण क्षेत्र में सेवा	26,000	55,000
8	डिप्लोमा ग्रामीण क्षेत्र में सेवा	38,000	57,000
9	पीजी ग्रामीण क्षेत्र में सेवा	38,000	59,000

2/- यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 50 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में जारी की गई है।

3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 133/अ/आ/809/अप्र दिनांक 5/10/2018 द्वारा महालेखाकार म्यालिटर को पृष्ठांकित की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(शर्मिला डाकुर)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग